(प्रपत्र-1)

परियोजना-13

सहायता अनुदान के लिए प्रपत्र

1 धार्मिक संस्थान/स्मारक का पूरा नाम व पता: _____ धार्मिक संस्थान/स्मारक
गांव _____ ग्राम पंचायत _____
डाकघर _____ तहसील _____
उपमण्डल _____ जिला _____
पिन कोड _____

2 धार्मिक संस्थान/स्मारक सार्वजनिक सार्वजनिक सम्पदा है : हां / नहीं ☐ / ☐

3 यदि (2) का उत्तर हां में है तो कौन से संस्था अथवा ट्रस्ट चला रहा है : _____

4 धार्मिक स्थल की आयु : _____ वर्ष या निर्माण वर्ष _____

5 धार्मिक स्थल के चारों कोणों के चार छायाचित्र संलग्न हैं या नहीं ? _____

6 निर्माण कार्य का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है : _____

7 पूर्वोक्त निर्माण कार्य पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय की राशि : _____

8 धार्मिक स्थल का ऐतिहासिक/ सांस्कृतिक विवरण : _____

9 राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है या नहीं ? _____

10 अपेक्षित अनुदान की राशि, जिसकी सरकार से आशा है तथा शेष राशि संस्था किस प्रकार वहन करेगी कृपया ब्यौरा दें : _____

11 क्या इस कार्य के लिए किसी अन्य स्रोत से भी सहायता प्राप्त की गई है (यदि हां तो ब्यौरा दें अन्यथा हल्फनामा दें): _____

12 कोई अन्य सूचना, यदि कोई हो : _____

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त मेरे प्रतिज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान _____
तिथि _____

अनुदानग्राही के हस्ताक्षर _____
(नाम _____)
पदनाम _____
पता _____
_____
दूरभाष कोड सहित _____

जिला भाषा अधिकारी/संग्रहालयाध्यक्ष/उपमण्डल अधिकारी(ना0)/उपायुक्त की सिफारिश: _____

प्रपत्र-2

भाषा एवं संस्कृति विभाग,
हिमाचल प्रदेश-शिमला.171009

प्रदेश के मन्दिरों/मठों तथा विहारों का सर्वेक्षण

1 मन्दिर/मठ/विहार/संस्थान का नाम:

2 इसके भवन का निर्माण किसने तथा कब करवाया था

3 मन्दिर की निर्माण शैली: पहाड़ी / सतलुज / पैंटरूफ / शिखर / गुफा / गोम्पा / टावरनुमा / पैगोडा / गुम्बद

4 मन्दिर के प्रधान देवता:

5 मन्दिर की अनुमानित वार्षिक आय:

6 मन्दिर की कुल अनुमानित सम्पत्ति:

(1) चल सम्पत्ति: आभूषण ____ लगभग: रूपये ____
नकदी ____ कुल रूपये ____

(2) अचल मकान ____
भूमि ____

7 मन्दिर की व्यवस्था का ब्यौरा:
(पुजारी/पारम्परिक समिति/अन्य समिति--कृपया विवरण दें)

8 मन्दिर में मूर्तियों की संख्या व विवरण दें :

9 मन्दिर के प्रांगण में आयोजित होने वाले उत्सव तथा मेलों का विवरण दें :

10 मन्दिर में कब-कब पूजा होती है ?

11 मन्दिर कहां स्थित है :

गांव ____ डाकघर ____ पिनकोड नम्बर ____
पंचायत ____ उपतहसील ____
तहसील ____ उपमण्डल ____
निकटवर्ती सड़क ____ सड़क से दूरी ____
निकटवर्ती विश्रामगृह ____
विश्रामगृह किस विभाग का है: लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/वन विभाग/ बिजली बोर्ड / पंचायत /कोई अन्य (कृपया नाम लिखें)
--विश्रामगृह में ठहरने के लिए किसे आवेदन करना है : (कृपया अधिकारी व कार्यालय का पता तथा टैलीफोन नम्बर लिखें)
--क्या मन्दिर में फोन लगा है यदि है तो कृपया कोड सहित फोन नम्बर लिखें:
--यदि फोन नहीं लगा है तो किसी ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति का नाम तथा फोन नम्बर लिखें जिनसे कि इस मन्दिर के बारे में सम्पर्क किया जा सके:
--इस स्थान के लिए जिला / उपमण्डल / तहसील / ब्लॉक मुख्यालय से उपलब्ध बस सेवाओं के रूट का नाम व समय लिखें :

12 मन्दिर का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, लिखें :

प्रपत्र-3

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____ (देवता का नाम) का मन्दिर, मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला _____ के खसरा नम्बर _____ में बना हुआ है जो कि आबादी देह का नम्बर है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

स्थान _____ हस्ताक्षर (पटवारी) _____

दिनांक _____ मोहर

प्रपत्र-4

(कृपया मन्दिर के किसी एक फोटो के पीछे ये प्रमाणपत्र दर्ज करवाएं)

प्रमाणित किया जाता है कि यह फोटो _____ मन्दिर का है जो कि खसरा नम्बर _____ मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला में स्थित है ।

हस्ताक्षर (पटवारी) _____
मोहर

प्रपत्र-5

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [ ] मन्दिर, गांव [ ] परगना [ ] तहसील [ ] जिला [ ] की भूमि 'भूमि सुधार अधिनियम' के तहत मुजारों को चली गई है । अतः अब इस मन्दिर की दैनिक पूजा तथा अन्य कार्यकलापों के लिए होने वाला व्यय निकाल पाना कठिन हो रहा है अतः

1 मन्दिर की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित [ ] निर्माण कार्य हेतु अनुदान मिलना उचित है ।

2 उपरोक्त निर्माण, इस धार्मिक संस्थान (मन्दिर) की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है ।

स्थानः [ ]
दिनांकः [ ]

हस्ताक्षर (पटवारी) [ ]
मोहर सहित

प्रतिहस्ताक्षर

तहसीलदार

प्रपत्र-6

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [ ] मन्दिर, गांव [ ] परगना [ ] तहसील [ ] जिला [ ] .. की भूमि 'भूमि सुधार अधिनियम' के तहत मुजारों को चली गई है । अतः अब इस मन्दिर की दैनिक पूजा तथा अन्य कार्यकलापों के लिए होने वाला व्यय निकाल पाना कठिन हो रहा है । अतः मन्दिर की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित [ ] निर्माण कार्य तथा इसके निर्माण स्थल पर इस पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है और पंचायत इनके इस प्रस्ताव का समर्थन करती है ।

स्थानः [ ]
दिनांकः [ ]

हस्ताक्षर (पंचायत प्रधान) [ ]
मोहर सहित

प्रपत्र-7

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त अनुदान से, _____ मन्दिर (धार्मिक संस्थान), गांव _____ परगना _____ तहसील _____ जिला _____ के लिए जो सराय/दुकानें/संरचना, बनाई जाएगी उसकी दरें विभाग की सहमति से ही तय की जाएंगी ।

स्थानः _____
दिनांकः _____

प्रधान (मन्दिर समिति)
मोहर सहित

(प्रपत्र-8)

दूसरी किस्त जारी करने के लिए प्रमाण-पत्र

1 प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार [ ] [ ] धार्मिक संस्थान/स्मारक को रूपये [ ] का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंने अपना आधा कार्य पूर्ण कर लिया है ।

2 संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।

3 मैंने स्वयम् देखा है ।

4 मेरा निवेदन है कि उसी के शेष बचे कार्य के लिए, इन्हें अनुदान की पहली किस्त, जो कि रूपये [ ] बनती है, को जारी कर दी जाए ।

जिला भाषा अधिकारी/संग्रहालयाध्यक्ष
उपमण्डल अधिकारी(ना0)/उपायुक्त
विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता/पुरातत्व अभियन्ता

प्रपत्र-9

उपयोगिता प्रमाणपत्र

कृपया पत्र संख्याः _____ दिनांक _____ राशि _____ प्रमाणित किया जाता है कि _____ मात्र की स्वीकृति सहायतानुदान राशि से वर्ष के दौरान _____ के रूप में इस विभाग के पत्र संख्याः _____ तथा हाशियों में दी गई तिथि के अधीन रुपये _____ की राशि हिमाचल _____ के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृति की गई थी तथा शेष _____ रुपये की वर्ष के अन्त तक उपयोग न की गई राशि का सरकार को पत्र संख्याः _____ के द्वारा अभ्यर्पण किया गया है जो कि आगामी _____ वर्ष _____ में दी जाने वाली सहायता अनुदान में समायोजित की जायेगी ।

स्थान _____
हस्ताक्षर _____
तिथि _____
संस्थाध्यक्ष _____

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था, पूर्ण की गई हैं/ पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

_____
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षर विभागाध्यक्ष

परियोजना-13
प्राक्कलन **(Estimate)** तैयार करने के लिए मार्ग-निर्देश

1 धार्मिक संस्थान/स्मारक की साइट पर जा कर, प्रस्तावित निर्माण तथा धार्मिक संस्थान/स्मारक के भवन की ड्राईंग*(To Scale)*तैयार करें और इसमें निम्नलिखित दर्शाएं:

1 Ground & all other Floor Plans

2 Front & Side Elevations

3 One X-Section of temple & Retaining/Boundary wall

4 Site Plan showing the position of every part of the complex

2 प्राक्कलन*(Estimate)*चार प्रतियों में होना चाहिए ।

3 ड्राईंग अमोनिया प्रिंटस पर चार प्रतियों में होनी चाहिए ।

4 प्रस्तावित भवन (ढ्ढकान/सराय) का स्वरूप/वास्तुकला, मूल धार्मिक संस्थान/स्मारक की वास्तुकला पर या उस क्षेत्र में बने हुए पारम्परिक भवनों की वास्तुकला पर आधारित हो । प्रस्तावित भवन की ड्राईंग में भी*Ground & all other Floor Plans, Front & Side Elevations*दिखाएं और इसका प्राक्कलन भी चार प्रतियों में होना चाहिए ।

5 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) के लिए जो निर्माण (ढ्ढकान/सराय) प्रस्तावित है उसमें उसी सामग्री का प्रयोग करें जिससे कि मूल धार्मिक संस्थान/स्मारक बना हुआ है या फिर उस सामग्री का प्रयोग करें जिससे कि उस क्षेत्र में पारम्परिक भवन बनाए जाते रहे हैं । आधुनिक सामग्री का प्रयोग वर्जित हैं ।

6 उपरोक्त के अतिरिक्त प्राक्कलन में ये मदें*(Items)*भी ले सकते हैं:

1 P/L Chakka stone flooring around the temple

2 Boundary wall, in conformity with revenue record.

3 Drainage system for rainwater

7 प्राक्कलन कम से कम सहायक अभियन्ता से हस्ताक्षरित होना चाहिए और यदि प्रतिधारण दीवार***(Retaining wall)***लगाई गई हो तो औचित्य प्रमाण पत्र***(Justification Certificate)***व प्राक्कलन, सहायक अभियन्ता से ही हस्ताक्षरित हो ।

8 ड्राईंग्ज व छायाचित्र(photos)आपस में शतप्रतिशत मेल खाने चाहिए ।

(परियोजना-13)

(CHECK LIST)

स्मारकों/धार्मिक संस्थानों के प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व कृपया चैक करें:

1 सहायतानुदान प्रपत्र व सर्वेक्षण प्रपत्र सही ढंग से भरे गए हैं या नहीं इसमें देखें कि:

1 कोई मद् खाली तो नहीं है ?

2 प्रपत्र को सक्षम अधिकारी (जिला भाषा अधिकारी / उपमण्डलाधिकारी/ जिलाधीश) से सिफारिशित / संस्तुत करवांए ।

3 आवेदक का पूरा नाम व पता दर्ज होना चाहिए ।

2 प्राक्कलन (**Estimate**) :

1 **Abstract ofCost** चार प्रतियां

2 **Detail ofMeasurements** चार प्रतियां

3 **Drawings in Ammonia prints** चार प्रतियां

3 ये राजस्व दस्तावेज साथ लगांए:

1 पर्चा जमाबन्दी

2 अक्स ततीमा

3 प्रपत्र-4 पर, इस आशय का प्रमणपत्र लगाएं कि इस धार्मिक संस्थान की भूमि मुजारों को चली गई है ।

3 यदि धार्मिक संस्थान/स्मारक (मंदिर) आबादी में है तो पटवारी से निम्नलिखित प्रमापत्र लेकर संलग्न करें । :

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____ (देवता का नाम) का संस्थान/स्मारक (मंदिर), मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला _____ के खसरा नम्बर _____ में बना हुआ है जो कि आबादी देह का नम्बर है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थान/स्मारक (मंदिर) किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है ।

4 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यदि संस्थान/स्मारक निजि सम्पत्ति होगा तो अनुदान नहीं दिया जा सकेगा ।

5 संस्थान/स्मारक (मंदिर) के चारों कोणों से लिए गए पोस्टकार्ड साइज के चार रंगीन छायाचित्र (**Photo**) संलग्न करें और इनमें एक के पीछे निम्नलिखित प्रमाणपत्र दर्ज करवाएं:

"प्रमाणित किया जाता है कि यह फोटो _____ धार्मिक संस्थान/स्मारक (मन्दिर) का है जो कि खसरा नम्बर _____ मौजा _____ परगना _____ तहसील _____ जिला _____ में स्थित है ।

हस्ताक्षर (पटवारी)

(मोहर सहित) _____

6 धार्मिक संस्थान/स्मारक (मंदिर) का इतिहास जो कि कम से कम दो पृष्ठ का हो, संलग्न करें ।

7 प्रपत्र-6 पर, पंचायत द्वारा सम्बधित संस्थान को उस भूमि पर निर्माण कार्य करने का अनापत्ति प्रमाणपत्र भी संलग्न करें ।

8 प्रपत्र-7 पर, संस्थान द्वारा निर्मित दुकानों/सराय, आदि की दरें भाषा विभाग की सहमति सेनिर्धारित होंगी, ये प्रमाणपत्र संलग्न करें

प्रकरण भिजवाने के लिए पता:

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग,
संस्कृति भवन, खण्ड-39, एस0डी0ए0 परिसर,
कसुम्पटी, शिमला-171 009

परियोजना-13

धार्मिक संस्थानों के नित्य प्रति व्यय तथा रख-रखाव हेतु अनुदान की योजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 भूमिका :

कुछ धार्मिक संस्थानों के पास पहले से भूमि आदि थी जो भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत मुजारों को दिलाई गई जिससे इन धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव और नित्य प्रति पूजा आदि में होने वाले व्यय को निकाल पाना कठिन हो रहा है ऐसे धार्मिक संस्थानों को सहायतानुदान देने के लिए यह परियोजना बनाई जा रही है ।

2 उद्देश्य :

1 धार्मिक संस्थानों के रख-रखाव को ठीक करना ।
2 धार्मिक संस्थानों में नित्य प्रति पूजा आदि को विधिवत चलाना ।
3 इन संस्थानों के रख-रखाव हेतु उनकी आय को बढ़ाना ।

3 आय बढ़ाने के साधन :

1 खाली भूमि में, जिस पर इन संस्थानों को स्वामित्व प्राप्त है, सराय आदि बनाना ।
2 इन संस्थानों के स्वामित्व वाली भूमि में दुकानें आदि बनाना ।
3 कोई भी ऐसा कार्य जो इन संस्थानों की निरन्तर आय का साधन हो सके ।

4 प्रक्रिया :

1 धार्मिक संस्थानों के प्रधान, जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से किसी ऐसे निर्माण कार्य के लिए अथवा किसी ऐसे कार्य के लिए जिस से संस्थान की निरंतर आय हो, विभाग को प्रार्थना पत्र भेजेंगे ।
2 यदि संस्थान की किसी भूमि में उसका स्वामित्व है और वह उस पर कोई निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो संस्थान की प्रबन्धक समिति, राजस्व से सम्बन्धित सभी पत्र, किये जाने वाले निर्माण के प्राक्कलन, ड्राईंग आदि जो कम से कम किसी सहायक अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित हों जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेगा ।
3 पंचायत द्वारा सम्बंधित संस्थान को उस भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी इस आवेदन के साथ होना चाहिए ।
4 संस्थान द्वारा निर्मित दुकानों, सराय आदि की दरें, भाषा-संस्कृति विभाग की सहमति से निर्धारित होंगी ।
5 संस्थान समिति इस निर्माण कार्य को स्वयं करेगी, विभाग के अभियन्ता आदि इसके निरीक्षण हेतु समय-समय पर जाते रहेंगे ।
6 निर्माण कार्य, स्वीकृत नक्शों के आधार पर ही होगा ।

5 धनराशिः

1 निर्माण कार्य के लिए कुल राशि 75 प्रतिशत या अधिक से अधिक 25,000/- रुपये की राशि सहायतानुदान के रूप में दी जायेगी बाकी की राशि संस्थान समिति स्वयं वहन करेगी ।
2 एक संस्थान को पांच वर्ष में केवल एक बार निर्माण के लिए सहायतानुदान दिया जायेगा ।
3 धन राशि दिये जाने के बाद एक वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूरा किया जाना होगा ।
4 धन राशि दो किश्तों में दी जायेगी । 50 प्रतिशत कार्य पूरा होने के उपरांत, विभाग का अभियन्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद ही दूसरी किस्त दी जायेगी ।
5 धार्मिक संस्थान समिति द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।